


31.1.23

पत्रावली पेश। अधिवक्ता पञ्जकारान उपन।  
अप्राधी अधिवक्ता को फर्कित करने देकर लीवर  
बहल करना चाहिए। उभयपक्षों की बहल  
सुनी गई। पत्रावली का आद्योपेत अध्यागत  
अवलोकन किया गया। पत्रावली सारहीन  
होने से खारीज की जाती है।  
पत्रावली फंजन

शुमार होकर दर्ज नम्बर से डेम की जाऊए  
दाखिल दर्ज है।

  
सहायक कलेक्टर  
(S. D. O.) रेवदर